न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 53 / 2025	2025 / 196	03.04.2025	11.06.2025

1– महेन्द्र पुत्र स्व0 रत्तीराम जाति अहीर निवासी मंदिर मौहल्ला ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल–तिजारा।

रेस्पोडेन्ट

2–धर्मपाल पुत्र स्व0 रत्तीराम जाति अहीर निवासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

3–सतीश कुमार पुत्र स्व0 रत्तीराम जाति अहीर निवासी मंदिर मौहल्ला ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

तरतीबी रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार तिजारा निर्णय दिनाक 28.03.2023 नामान्तकरण संख्या 1488 वाके ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान) जिसके द्वारा विधि विरूद्व पूर्व में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम स्वीकृत नामान्तकरण (हकत्याग) संख्या 1488 दिनाक 28.03.2023 को पुर्नविलोपित किया गया है, आदेश दिनाक 19.04.2023 के द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

उपस्थित–
01. श्री दिनेश यादव

–वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के नामान्तकरण संख्या 1488 निर्णय 28.03. 2023 वाके ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा जिसके द्वारा विधि विरूद्व पूर्व में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम स्वीकृत नामान्तकरण (हकत्याग) संख्या 1488 दिनाक 28.03.2023 को पुर्नविलोपित किया गया है, आदेश दिनाक 19.04.2023 के द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 124 / 0.3300 है0, 131 / 0.0600 है0, 366 / 0.1400 है0, 367 / 0.0800 है0, 368 / 0.2700 है0, 369 / 0.4700 है0, 420 / 0.4000 है0, 66 / 0.3700 है0, 391 / 0.1300 है0, कुल किता 9 / 2.2500 है0, एंव आराजी खसरा न0 61 / 0.0800 है0, हिस्सा 3 / 7 तथा आराजी खसरा न0 64 / 0.3500 है0, हिस्सा 33 / 245 तथा आराजी खसरा न0 126 / 0.8000 है0, हिस्सा 57 / 280 एवं आराजी खसरा न0 69 / 0.3400 है0 हिस्सा 60 / 189 वाके ग्राम गोठडा तहसील तिजारा अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की बहिन श्रीमती चन्द्र पत्नी हरफूल, श्रीमती प्रेम देवी पत्नी

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

महावीरसिंह तथा श्रीमती कमलेश देवी पत्नी कमलेश कुमार की खातेदारी आराजी दर्ज थी। अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की तीनो बहिनो ने अपना सम्पूर्ण खातेदारी का हिस्सा का हक त्याग कर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम दिनाक 13.03.2023 को कर दिया गया जो दस्तावेज दिनाक 13.03.2023 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 560 के पृष्ठ संख्या 174 कंम संख्या 202303119100528 पर उप पंजियक तिजारा द्वारा पंजीबद्व किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1460 के पृष्ठ संख्या 187 से 194 पर चस्पा किया गया है। पंजीकृत दस्तावेज हकत्याग के आधार पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम नामान्तकरण संख्या 1488 दिनाक 28.03.2023 को दर्ज कर तहसीलदार तिजारा द्वारा दिनाक 28.03.2023 स्वीकार किया गया था। इसके उपरान्त तथाकथित व्यक्ति नीशु पुत्र स्व0 लीलाराम के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष दिनाक 18.04.2023 को उपरोक्त नामान्तकरण पुर्नावलोकन कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया की उक्त नामान्तकरण पंचायत में होना था, परन्तु नामान्तकरण तहसीलदार तिजारा द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम गोठडा का नामान्तकरण संख्या 1488 दिनाक 28.03.2023 (हकत्याग) नामान्तकरण एस. एस.ओ.आई.डी. में तकनीकी समस्या के चलते ग्राम पंचायत की आई.डी. पर जाने के बजाय राजस्व अधिकारी की आई.डी. पर चला गया तथा राजस्व अधिकारी के द्वारा नामान्तरण संख्या 1488 दिनाक 28.03.2023 को स्वीकृत कर दिया गया जबकि नामान्तकरण ग्राम पंचायत गोठडा के क्षेत्राधिकार का था। साथ ही नामान्तकरण में दर्ज खसरो पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का स्थगन है। जिसके आधार पर तहत अदालत द्वारा विधि विरूद्व तरीके से दिनाक 19.04.2023 को आदेश जारी कर दिनाक 28.03.2023 स्वीकृत शुदा नामान्तकरण को पुनवलोकन कर दिया गया है, विधिक प्रावधानुसार तहत अदालत उक्त स्वीकृत शुदा (हकत्याग) नामान्तकरण संख्या 1488 स्वयं द्वारा पुर्नविलोपित नही कर सकता है। यहा यह भी उल्लेखनीय है, कि उक्त आराजी के सम्बन्ध में जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधआज्ञा दिनाक 20.03.2023 को पारित किया गया है, उसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा दिनाक 07.03.2025 को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त वर्णित आराजी पर दिनाक 28.03.2023 व दिनाक 19.04.2023 को किसी प्रकार का स्थगन आदेश नही था, और न ही उक्त स्थगन आदेश दिनाक 20.03.2023 को प्रभाव में था। तहत अदालत को उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सूचित करना चाहिए था। अपीलान्ट को सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। तहत अदालत द्वारा आज्ञा दिनाक 19.04.2023 मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान संख्या 2 व 3 के पीछे से बालाबाला पारित की जाकर नामान्तकरण (हकत्याग) संख्या 1488 दिनाक 28.03.2023 वाके ग्राम गोठडा तहसील तिजारा पुनर्विलोकित किया गया है, जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनाक 12.03.2023 को तब हुई जब अपीलान्ट द्वारा पटवारी हल्का से सर्म्पक कर आवश्यक कार्य के लिए नामान्तकरण की नकल प्राप्त की तो पटवारी हल्का द्वारा आदेश दिनाक 19.04.2023 की जानकारी दी गयी। जिस पर अपीलान्ट ने उसी दिन सलाह मश्वरा कर बिना देरी किये अपील की गयी है, अपील किये जाने में हुए विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्टान की बहस का मनन किया गया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि विवादित (हकत्याग) नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की बहिन श्रीमती चन्द्र पत्नी हरफूल, श्रीमती प्रेम देवी पत्नी महावीरसिंह तथा श्रीमती कमलेश देवी पत्नी कमलेश कुमार की खातेदारी आराजी दर्ज थी। अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की उपरोक्त तीनो बहिनो ने अपना सम्पूर्ण खातेदारी का हिस्सा का हक त्याग अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम दिनाक 13.03.2023 को कर दिया जो दस्तावेज दिनाक 13.03.2023 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 560 के पृष्ठ संख्या 174 कंम

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

संख्या 202303119100528 पर उप पंजियक तिजारा द्वारा पंजीबद्व किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1460 के पृष्ठ संख्या 187 से 194 पर चस्पा किया गया है। पंजीकृत दस्तावेज हकत्याग के आधार पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम (हकत्याग) नामान्तकरण संख्या 1488 दिनाक 28.03.2023 को विधिवत दर्ज कर तहसीलदार तिजारा द्वारा स्वीकार किया गया। इसके पश्चात तथाकथित व्यक्ति नीशु पुत्र स्व0 लीलाराम जिसका कि उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नही था, और न ही वर्तमान में है, उसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष दिनाक 18.04.2023 को उपरोक्त (हकत्याग) नामान्तकरण पुर्नावलोकन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेंषित किया की उक्त (हकत्याग) नामान्तकरण पंचायत में होना था, परन्तु उक्त नामान्तकरण तहसीलदार तिजारा द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम गोठडा का नामान्तकरण संख्या 1488 दिनाक 28.03.2023 हक (हकत्याग) नामान्तकरण एस.एस.ओ.आई.डी. में तकनीकी समस्या के चलते ग्राम पंचायत की आई. डी. पर जाने के बजाय राजस्व अधिकारी की आई.डी. पर चला गया तथा राजस्व अधिकारी के द्वारा (हकत्याग) नामान्तरण संख्या 1488 दिनाक 28.03.2023 को स्वीकृत कर दिया गया जबकि नामान्तकरण ग्राम पंचायत गोठडा के क्षेत्राधिकार का था। उक्त नामान्तकरण में दर्ज खसरो पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का स्थगन है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को सूचित किये और बिना दस्तावेजो का अवलोकन करते हुए तहत अदालत द्वारा विधि विरूद्व तरीके से दिनाक 19.04.2023 को आदेश पारित कर नामान्तकरण पुनवलोकन कर दिया। जबकि तहत अदालत उक्त स्वीकृत शुदा (हकत्याग) नामान्तकरण संख्या 1488 स्वयं द्वारा पुर्नविलोपित नही कर सकता है। यहा यह भी उल्लेखनीय है, कि उक्त आराजी के सम्बन्ध में जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधआज्ञा दिनाक 20.03.2023 को पारित किया गया है, उसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा दिनाक 07.03.2025 को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त वर्णित आराजी पर दिनाक 28.03.2023 व दिनाक 19.04.2023 को किसी प्रकार का स्थगन आदेश नही था, और न ही उक्त स्थगन आदेश दिनाक 20.03.2023 को प्रभाव में था। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तथा तहत अदालत तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण (हकत्याग) संख्या 1488 दिनाक 28.03.2023 को आदेश दिनाक 19.04.2023 के द्वारा पुर्नविलोपित किया गया है, वाके ग्राम गोठडा तहसील तिजारा निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत तहसीलदार तिजारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण की पुनः जॉच कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्वत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलेक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)

जिला कलेक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)